

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9974/2023

शालिनी सविता, पुत्री विनोद कुमार, आयु लगभग 31 वर्ष, निवासी 18, माउंट रोड,
मोहन नगर, नाहरगढ़ किले के नीचे, त्रिपोलिया, जयपुर, राजस्थान

-----याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग,
राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से
- राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, रजिस्ट्रार, डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद
विश्वविद्यालय, नागौर रोड, कारवार के पास, जोधपुर के माध्यम से
- निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर

-----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए : श्री जी.एस. गिल,
श्री मनोज कुमार,
श्री कपिल भारद्वाज
प्रतिवादी (ओं) के लिए : श्री हरि किशन सैनी, उप-जीसी
श्री विशेष शर्मा

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

आदेश

प्रकाशनीय

17/01/2024

- वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित प्रार्थना(ओं) के साथ दायर की गई थी:

"i) एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश पारित करके प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे विज्ञापन संख्या 02/2023 (अनुलग्नक 8) में शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के अंतर्गत "रीढ़ की हड्डी से संबंधित विकलांगता" को जोड़ें और याचिकाकर्ता की ऑनलाइन उम्मीदवारी पर विचार करें या वैकल्पिक रूप से प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे विज्ञापन संख्या 02/2023 अनुलग्नक 8 के अनुसरण में विकलांग श्रेणी के अंतर्गत याचिकाकर्ता के ऑफलाइन आवेदन पत्र को स्वीकार करें;

ii) उसी प्रकार का एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश पारित करके प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता को उसकी "रीढ़ की हड्डी से संबंधित विकलांगता" के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में उपस्थित होने दें और उसे उसकी योग्यता के अनुसार सभी परिणामी लाभों के साथ शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के अंतर्गत आयुर्वेद चिकित्सक के पद पर नियुक्ति दी जाए;

iii) कोई अन्य उपयुक्त राहत, जो न्यायसंगत और उचित समझी जाए मामले के उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता को लागत सहित मुआवजा भी प्रदान किया जाए।"

2. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता जन्मजात स्कोलियोसिस रीढ़ की हड्डी की विकृति के साथ लोकोमोटर विकलांगता के तहत

शारीरिक रूप से विकलांग है, जिसमें हड्डियों के कार्य में प्रतिबंध है, जिसमें लगभग 44% की स्थायी विकलांगता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए विज्ञापन संख्या 02/2023 में, प्रतिवादी ने विशेष रूप से सक्षम श्रेणी को ओए/ओएल की बेंचमार्क विकलांगता तक सीमित कर दिया है, जो राजस्थान विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2018 (संक्षेप में '2018 के नियम') के अनुरूप नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

2.1. पहला अनुरोध यह है कि याचिकाकर्ता ने विकलांग श्रेणी के तहत स्नातक के साथ-साथ स्नातकोत्तर की डिग्री भी हासिल की है। इसलिए, अब याचिकाकर्ता की नियुक्ति को विकलांग प्रमाण पत्र के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है जिसमें विशेष रूप से ओएल का उल्लेख नहीं है।

2.2. दूसरा निवेदन यह है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (संक्षेप में '2016 का अधिनियम'), एक लाभकारी कानून है। यह तर्क दिया गया है कि विज्ञापन में निर्धारित दिव्यांगताओं की सूची केवल उदाहरणात्मक थी, संपूर्ण नहीं और चूंकि विज्ञापन में गति-संबंधी दिव्यांगता को विशेष रूप से बाहर नहीं रखा गया था, इसलिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार किया जाना चाहिए। यह भी रेखांकित किया गया है कि याचिकाकर्ता को ऐसी कोई भी दिव्यांगता नहीं है जिसे विशेष रूप से बाहर रखा गया है।

2.3 तीसरा निवेदन यह है कि 2016 के अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 2018 के नियम प्रख्यापित किए गए हैं। यह प्रस्तुत करने के लिए कि प्रतिवादी निहितार्थ द्वारा दिव्यांगता की किसी भी श्रेणी को बाहर

करने के लिए सक्षम नहीं हैं, 2016 के अधिनियम की धारा 34 के साथ पठित 2018 के नियमों के नियम 5 और 6 पर भरोसा किया गया है।

2.4 चौथा निवेदन यह है कि प्रतिवादियों ने केंद्र सरकार के दिनांक 04.01.2021 के आदेश का यंत्रवत् पालन किया है, जबकि कानून में बदलाव हुआ है। यह प्रस्तुत किया गया है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी दिनांक 24.08.2022 की अधिसूचना के माध्यम से, दिनांक 04.01.2021 के आदेश में संशोधन किया गया है और बिना किसी संबद्ध तंत्रिका संबंधी/अंग विकार के रीढ़ की हड्डी में विकृति या रीढ़ की हड्डी में चोट को ओए, ओएल, आदि के अतिरिक्त लोकोमोटर विकलांगता के अंतर्गत शामिल किया गया है।

3. इसके विपरीत, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया गया क्योंकि राज्य सरकार द्वारा पारित दिनांक 04.04.2023 के आदेश में रीढ़ की विकृति का उल्लेख नहीं किया गया था।

4. सुनवाई हुई और विचार किया गया।

5. यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता लोकोमोटर विकलांगता से पीड़ित है। याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार न करने का एकमात्र कारण यह है कि याचिकाकर्ता की विकलांगता का विज्ञापन में उल्लेख नहीं किया गया है और न ही दिनांक 04.04.2023 के आदेश के तहत विशेष रूप से कवर किया गया है। दिनांक 04.04.2023 के आदेश का अवलोकन करने के बाद, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इसे केंद्र सरकार के दिनांक 04.01.2021 के आदेश/अधिसूचना पर विचार करने के बाद पारित किया गया था। हालाँकि, नियम 6 या 2018 के नियमों के अंतर्गत गठित समिति, जिसने दिनांक 04.04.2023 का आदेश पारित किया है, ने दिनांक

24.08.2022 (सुप्रा) की अधिसूचना द्वारा दिनांक 04.01.2021 के आदेश में किए गए संशोधन को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया है। दिनांक 24.08.2022 की अधिसूचना निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत है:

“मंत्रालय: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

विभाग/बोर्ड: दिव्यांगजन सशक्तिकरण

अधिसूचना संख्या: 30-12/2020-DD-III

अधिसूचना की तिथि: 24.08.2022

प्रकाशन की तिथि: 29.08.2022

विषय: मानवाधिकार

केंद्र सरकार अधिसूचना संख्या 38-16/2020-DD-III दिनांक 04.01.2021 में संशोधन करती है।

एफ. संख्या 30-12/2020-डीडी-III--दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार अधिसूचना संख्या 04.01.2021 में निम्नानुसार संशोधन करती है: 38-16/2020-डीडी-III दिनांकित

नोट 9 के बाद निम्नलिखित नोट डाला जाएगा, अर्थात्;

"नोट 10: ओए, ओएल, बीए, बीएल, ओएएल, बीएलओए और बीएलए के अतिरिक्त, एक अलग उप-श्रेणी, अर्थात् रीढ़ की हड्डी में विकृति (एसडी) और रीढ़ की हड्डी में चोट (एसआई) को, बिना किसी संबद्ध तंत्रिका संबंधी/अंग संबंधी शिथिलता के, लोकोमोटर विकलांगता के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इस प्रकार, सूची में चिन्हित सभी पद, बिना तंत्रिका संबंधी/अंग संबंधी शिथिलता वाले एसडी/एसआई व्यक्तियों के लिए उपयुक्त माने गए हैं। संबद्ध अंग संबंधी शिथिलता वाले एसडी/एसआई व्यक्तियों को, जैसा भी मामला हो, संबंधित उप-श्रेणी जैसे ओए, ओएल, बीए, बीएल,

ओएएल, बीएलओए और बीएलए के अंतर्गत कवर किया जाएगा।"

राजेश कुमार यादव, संयुक्त सचिव।"

6. उपरोक्त अधिसूचना के पारित होने के पश्चात, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिनांक 07.09.2022 का एक कार्यालय ज्ञापन भी पारित किया गया है, जिसका प्रासंगिक अंश निम्नानुसार है:

विषय: दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी दिनांक 04.01.2021 की अधिसूचना में संशोधन हेतु बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों की सूची में रीढ़ की विकृति/रीढ़ की चोट वाले व्यक्तियों को शामिल करना - के संबंध में

...

दिनांक 29/08/2022 की अधिसूचना के अनुसार, अब यह अनिवार्य कर दिया गया है कि ओए, ओएल, बीए, बीएल, ओएएल, बीएलओए और बीएलए के अतिरिक्त, लोकोमोटर विकलांगता के अंतर्गत एक अलग उप-श्रेणी, अर्थात् रीढ़ की हड्डी में विकृति (एसडी) और रीढ़ की हड्डी में चोट (एसआई) को शामिल किया जाएगा, जिसमें कोई तंत्रिका संबंधी/अंग संबंधी विकार न हो। इस प्रकार, सूची में चिन्हित सभी पद बिना तंत्रिका संबंधी/अंग संबंधी विकार वाले एसडी/एसआई वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त माने गए हैं।"

7. दिनांक 24.08.2022 की अधिसूचना और दिनांक 07.09.2022 के कार्यालय ज्ञापन का मात्र अवलोकन करने से पता चलता है कि राज्य सरकार कानून में संशोधन पर विचार करने में विफल रही है और इसलिए कानून की अद्यतन स्थिति की पूर्ण अवहेलना करते हुए आदेश पारित किया है। दिनांक 04.04.2023 का

आदेश, दिनांक 24.08.2022 की अधिसूचना पर विचार करने में विफल रहने के कारण, स्वीकार नहीं किया जा सकता।

8. इसलिए, चूँकि केंद्र सरकार स्वयं दिनांक 04.04.2023 के आदेश में उल्लिखित के अलावा, लोकोमोटर विकलांगता की व्यापक श्रेणी के अंतर्गत रीढ़ की हड्डी की विकलांगता और रीढ़ की हड्डी की चोट को बिना किसी संबद्ध तंत्रिका संबंधी/अंग विकार के मान्यता देती है, इसलिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है।

9. इसके अतिरिक्त, यह देखते हुए कि कानून के उसके पक्ष में फैसला होने के बावजूद याचिकाकर्ता को इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा, न्याय के सिद्धांतों की अपेक्षा है कि राज्य के पदाधिकारियों को कानून की अद्यतन स्थिति के बारे में अवगत नहीं कराए जाने के कारण याचिकाकर्ता को हुई अनावश्यक कठिनाइयों के लिए उसे मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसलिए, यह न्यायालय प्रतिवादी संख्या 1 पर 50,000/- रुपये का जुर्माना लगाता है, जो याचिकाकर्ता को तीन महीने की अवधि के भीतर भुगतान किया जाए। यदि उक्त राशि याचिकाकर्ता को तीन महीने की अवधि के भीतर जारी नहीं की जाती है, तो उस पर 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लगेगा, जो देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारी(यों) से वसूल किया जाएगा।

10. तदनुसार, रिट याचिका को अनुमति दी जाती है। लंबित आवेदन(आवेदन), यदि कोई हो, का निपटारा किया जाएगा।

(समीर जैन), जे

अनिल शर्मा /एस-320

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निशपादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी